७५/१५ जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 75/2015 अनवानी कुलदीपसिंह पुत्र तेजासिंह जाति जटसिख निवासी 2 केएलडी तह0 घड़साना बनाम 1–पृथ्वीराज पुत्र श्योदान जाति मेघवाल नि0 2 केएलडी तह0 घड़साना, 2–हनुमान, 3–रामदुलारी, 4–नागरमल, 5–नथूराम, 6–अन्ग्रजसिंह, 7–मनजीत कौर, 8–हरदीप सिंह, 9–अमनदीप कौर, 10–कमलजीत कौर, 11–स्टेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओमप्रकाश गेदर उपस्थित है। अप्रार्थी हनुमान, रामदुलारी, नागरमल, नथुराम के अभिभाषक श्री खेतपाल सिहाग उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीयान के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित अनवानी प्रकरण पृथ्वीराज बनाम अन्ग्रेज सिंह धारा 8(1) कॉलोनी कंडीशन में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित अनवानी प्रकरण पृथ्वीराज बनाम अन्ग्रेज सिंह धारा 8(1) कॉलोनी कंडीशन में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 54 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

९४३
१८-५-१६

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर